अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 परिचय

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के कुछ विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए मामलों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उम्मीद है की कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- **अध्याय 1** में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों की प्रवृत्ति और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों की वसूली, निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुपालन प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई आदि और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया शामिल हैं।
- **अध्याय 2** में कर प्राप्तियों से संबंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा तथा वाणिज्य कर विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित सात कंडिकाएं शामिल हैं।
- **अध्याय 3** में गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप पर अनुपालन लेखापरीक्षा और खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका शामिल है।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृति

1.2.1 झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में सृजित कर और गैर-कर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों को सौंपे गए विभाज्य राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका - 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,299.25	12,353.44	14,752.04	16,771.45	16,880.08
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**15.86**	**(-) 7.11**	**19.42**	**13.69**	**0.65**

तालिका - 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	• गैर-कर राजस्व	5,351.41	7,846.67	8,257.98	8,749.98	7,564.01
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**(-) 8.57**	**46.63**	**5.24**	**5.96**	**(-) 13.55**
कुल		**18,650.66**	**20,200.11**	**23,010.02**	**25,521.43**	**24,444.09**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश	19,141.92	21,143.63	23,906.16	20,593.04	19,712.23
	• सहायता अनुदान	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.67	11,993.41
कुल		**28,403.27**	**32,555.92**	**33,141.68**	**32,895.71**	**31,705.64**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1एवं 2)**	**47,053.93**	**52,756.03**	**56,151.70**	**58,417.14**	**56,149.73**
4	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**40**	**38**	**41**	**44**	**44**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 24,444.09 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 44 प्रतिशत था। शेष 56 प्रतिशत प्राप्तियां वर्ष 2020-21 के दौरान विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी और भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान थे। राज्य सरकार द्वारा 2019-20 की तुलना में 2020-21 में सृजित कर राजस्व में 0.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में 13.55 प्रतिशत की कमी हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटित प्रतिशत के रूप में ब्योरा **चार्ट - 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट- 1.1

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विघटन

(₹ करोड़ में)

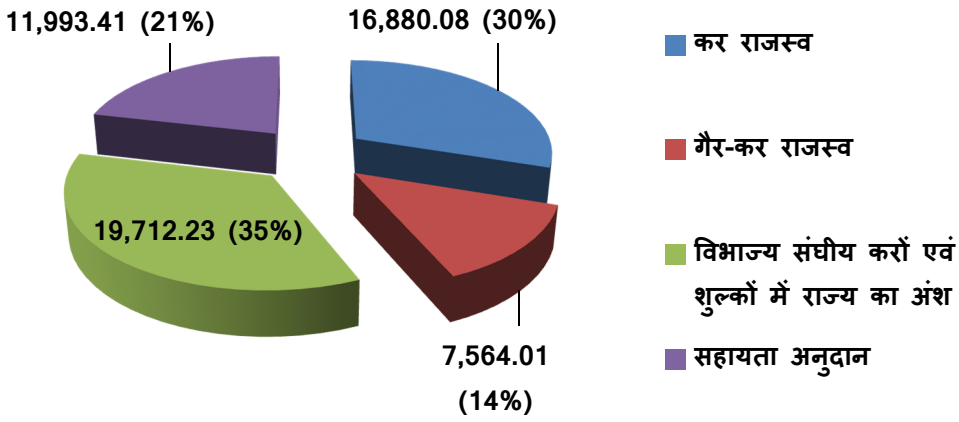

1.2.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका - 1.2** में दिया गया है।

तालिका - 1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या ह्रास (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,549.25	5,714.69	3,474.96	3,996.33	4,300.89	(+) 7.62
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	4,123.88	8,200.84	8,417.72	7,930.56	(-) 5.79
3	राज्य उत्पाद	961.68	840.81	1,082.82	2,009.27	1,821.09	(-) 9.37
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	607.00	469.34	451.04	560.33	708.14	(+) 26.38
5	वाहनों पर कर	681.52	778.37	863.94	1,128.98	976.35	(-) 13.52
6	विद्युत पर कर और शुल्क	151.89	183.50	209.07	236.24	195.26	(-) 17.35
7	भू-राजस्व	240.26	156.01	389.38	337.98	872.93	(+) 158.28
8	आय पर अन्य कर तथा व्यय	67.69	73.98	78.61	83.93	74.77	(-) 10.91
9	अन्य	39.95	12.86	1.38	0.67	0.09	(-) 86.57
कुल		**13,299.25**	**12,353.44**	**14,752.04**	**16,771.45**	**16,880.08**	**(+) 0.65**

स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के लिए विघटित कर राजस्व का ब्योरा **चार्ट - 1.2** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.2

2020-21 के लिए कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

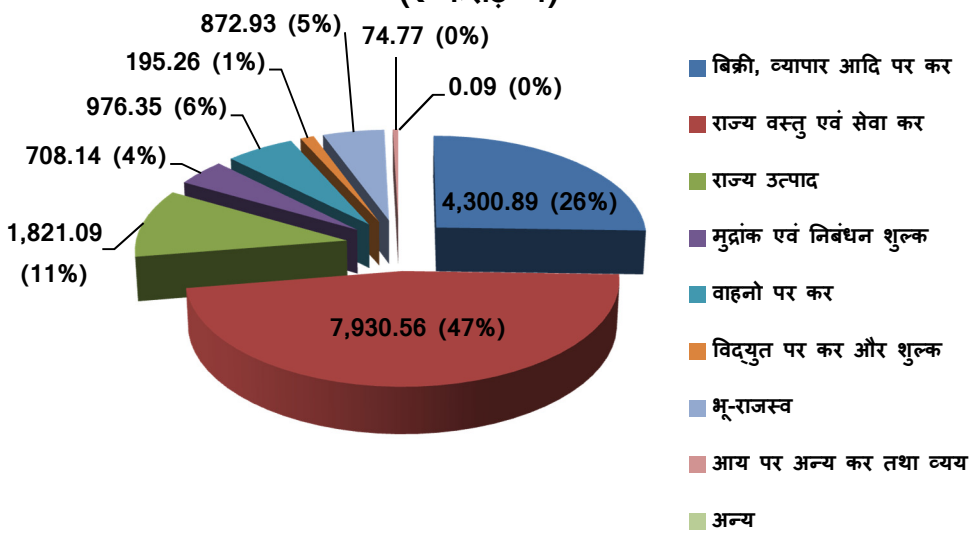

कर राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में 2019-20 की तुलना में 2020-21 के प्राप्तियों में विविधता के कारण निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: 7.62 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) पेट्रोलियम उत्पादों और भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कर दरों में संशोधन को दिया गया।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: 5.79 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया गया।

राज्य उत्पाद: 9.37 प्रतिशत की कमी के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा (दिसंबर 2021) कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री की मात्रा में कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 26.38 प्रतिशत की वृद्धि का कारण निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मई 2020 से महिलाओं के पक्ष में की गई अचल संपत्तियों की बिक्री विलेख पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क की छूट को वापस लेना बताया गया (नवंबर 2021)।

वाहनों पर कर: 13.52 प्रतिशत की कमी के लिए परिवहन विभाग द्वारा (नवंबर 2021) कोविड-19 के प्रसार और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया गया।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: 17.35 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा (मई 2022) कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार बताया गया।

भू-राजस्व: 158.28 प्रतिशत की वृद्धि को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने (नवंबर 2021) सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा ₹ 500 करोड़ के बकाया के भुगतान को श्रेय दिया।

आय पर अन्य कर तथा व्यय: 10.91 प्रतिशत की कमी के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार बताया गया (मई 2022)।

1.2.3 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सृजित गैर-कर राजस्व का विवरण को **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तलिका-1.3

गैर-कर राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	**राजस्व शीर्ष**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या ह्रास(-)**
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,094.25	5,941.36	5,934.64	5,461.36	5,012.47	(-) 8.22
2	फसल कृषि व्यवस्था	5.89	166.19	15.23	160.40	555.55	(+) 246.35
3	वानिकी और वन्य जीवन	4.48	4.44	14.79	17.59	328.17	(+) 1,765.66
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	20.53	14.22	25.58	8.75	270.71	(+) 2,993.83
5	ब्याज प्राप्तियाँ	121.34	168.88	47.20	309.51	81.36	(-) 73.71
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	36.79	135.78	8.46	84.61	18.05	(-) 78.67
7	अन्य[1]	1,068.13	1,415.80	2,212.08	2,707.76	1,297.70	(-) 52.07
कुल		**5,351.41**	**7,846.67**	**8,257.98**	**8,749.98**	**7,564.01**	**(-) 13.55**

स्रोत: झारखंड सरकार का वित्त लेखा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गैर-कर राजस्व का विघटित ब्योरा **चार्ट-1.3** में दिखाया गया है।

[1] अन्य में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

चार्ट-1.3

2020-21 में गैर कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

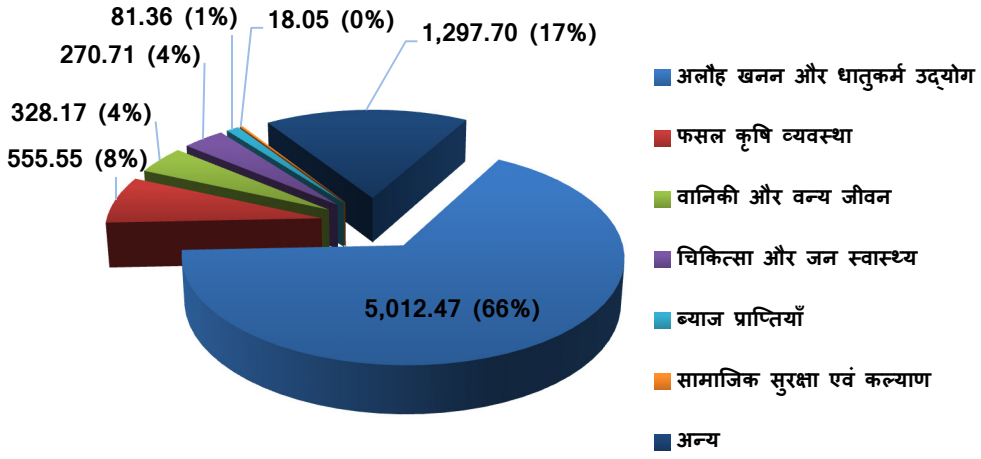

कई अनुरोधों के बावजूद विभागों द्वारा 2019-20 की तुलना में 2020-21 के प्राप्तियों में विविधता का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया।

ब्याज प्राप्तियां: 'ब्याज प्राप्तियों' में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 73.71 प्रतिशत की कमी आई है।

फसल कृषि व्यवस्था: पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 'फसल कृषि व्यवस्था' में 246.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 551.38 करोड़ के सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में गलत रूप से दिखाया गया था, जिससे फसल कृषि व्यवस्था की राजस्व में अचानक वृद्धि हुई।

वानिकी और वन्य जीवन: 'वानिकी और वन्य जीवन' के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 1,765.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान, उप-शीर्ष '01-वानिकी' के अंतर्गत लघु शीर्ष '103-पर्यावरण वानिकी से प्राप्तियां' और उप-शीर्ष '02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन' के अंतर्गत लघु शीर्ष '112-सार्वजनिक उद्यान' से प्राप्तियों में 2019-20 की तुलना में क्रमशः ₹ 15.62 करोड़ और ₹ 300.34 करोड़ की वृद्धि हुई।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 'चिकित्सा और जन स्वास्थ्य' के प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में 2,993.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 260.53 करोड़ के सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में गलत रूप से दिखाया गया था जिसके कारण चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 78.67 प्रतिशत कम हो गईं। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली को लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' के अंतर्गत गलत तरीके से राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था जिसके कारण 2019-20 के दौरान में वृद्धि हुई थी।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2021 को राजस्व के चार प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया राशि ₹ 8,458.41 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,485.68 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तलिका-1.4

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया	31मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक	लंबित बकाए की स्थिति						
				निर्गत मांग पत्र	न्यायाधिकरण द्वारा स्थगित	सरकार द्वारा स्थगित	सुधार/ समीक्षा	डीलर/ पार्टी का दिवालिया	विलोपित	विशिष्ट कार्यवाही सूचित नहीं किया गया
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,465.84	2,816.16	1,178.23	1,178.64	633.60	79.95	85.12	0	4,310.30
2	वाहनों पर कर	608.22	403.14	54.95	0	0	0	0	0	553.27
3	राज्य उत्पाद	53.88	0.00	25.77	7.65	0.07	0.11	0	0.16	20.12
4	भू-राजस्व	330.47	266.38	बकाए से संबंधित विशिष्ट कार्यवाही नहीं कि गयी (मार्च 2024)						
कुल		**8,458.41**	**3,485.68**							

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध की गई सूचना।

लेखापरीक्षा द्वारा सक्रिय अनुपालन के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2021 को राजस्व के बकाया संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2024)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकलाप की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी

लेखापरीक्षा कंडिकाओं और समीक्षाओं पर स्वत: कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा अवलोकन किया गया हो या नहीं। विभागों को उनके द्वारा की गई या किये जाने वाली प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई को लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित करा कर विस्तृत कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना था। अग्रेत्तर, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 1993) के अनुसार, सरकारी विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन विधान सभा में रखे जाने के तीन महीने के भीतर लोक लेखा समिति (पीएसी) को व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा की गई अनुसंशाओं पर एटीएन को छ: महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, मार्च 2016 और सितंबर 2021 के बीच राज्य विधान सभा के समक्ष रखे गए 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के सीएजी के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 97 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन माह के औसतन विलम्ब के साथ स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब देखा गया।

विभिन्न विभागों[2] से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधायिका को प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहां व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुए	कंडिकाओं की संख्या जहां व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए
1	2015	15.03.2016	32	4	28
2	2016	02.02.2017	32	14	18
3	2017	20.07.2018	17	4	13
4	2018	21.09.2020	9	1	8
5	2019	08.09.2021	7	0	7
कुल			**97**	**23**	**74**

2020-21 तक, पीएसी ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 18 कंडिकाओं पर चर्चा की है। 2020-21 के दौरान, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आठ कंडिकाओं पर पहली बार चर्चा की गई और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 से संबंधित एक कंडिका पर दूसरी बार चर्चा की गई। इन कंडिकाओं पर अनुसंशाएं नहीं की गई थी।

[2] वाणिज्य कर (37 कंडिकाएं), उत्पाद एवं मद्य निषेध (6 कंडिकाएं); परिवहन (19 कंडिकाएं); राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार (6 कंडिकाएं) और खान एवं भूतत्व (6 कंडिकाएं)।

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2020-21 के लिए जारी नि. प्र. की समीक्षा से पता चला कि 1,033 नि. प्र. से संबंधित 9,590 कंडिकाएं अप्रैल 2022 के अंत तक लंबित रहे। इन नि. प्र. में संभावित रूप से वसूली योग्य राजस्व ₹ 17,812.35 करोड़ था, जबकि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2020-21 में ₹ 24,444.09 करोड़ थी। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	271	5,275	8,218.81
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	165	812	967.47
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	98	498	4,386.97
4	परिवहन	वाहनों पर कर	164	1,202	542.81
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	140	642	36.73
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	178	1,101	3,556.37
कुल			**1,033**	**9,590**	**17,812.35**

2008-09 से निर्गत किये गये 179 नि .प्र. के प्रथम अनुपालन, जिसे नि. प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना था, वो भी प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के चार विभागों[3] को शामिल करते हुए 2020-21 के दौरान बिक्री,व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व तथा खनन प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 586 इकाइयों में से 25 इकाइयों (4.27 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। इन चार विभागों में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 20,222.66 करोड़ का राजस्व एकत्र किया गया, जिसमें से 25 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 7,851.79 करोड़ (38.83 प्रतिशत) एकत्र किया। 25 लेखापरीक्षित इकाइयों में, 1,413 मामलों में कुल ₹ 910.74 करोड़ (इकाइयों द्वारा एकत्रित राजस्व का 11.60 प्रतिशत) का कम निर्धारण, कर/ब्याज/दंड का गैर/कम आरोपण, राजस्व की हानि आदि को लेखापरीक्षा ने देखा। लेखापरीक्षा ने **"ट्रांजिशनल क्रेडिट"** और **"झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप"** पर भी लेखापरीक्षा की, जिसमें ₹ 194.01 करोड़ राशि की अनियमितताएं उजागर हुई। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए 61 मामलों में ₹ 105.85 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य खामियों को स्वीकार किया।

1.7 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में **"ट्रांजिशनल क्रेडिट"** और **"झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्य-कलाप"** पर लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षाओं और पूर्व के वर्षों के लेखापरीक्षा जिन्हें पिछली प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, से आठ चयनित कंडिकाएं शामिल हैं, जिसमें ₹ 322.93 करोड़ के वित्तीय मामले शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 105.68 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है और ₹ 44.49 लाख वसूल किए। इन पर अध्याय II और III में चर्चा की गई है।

इंगित की गई त्रुटियां/चूक एक नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर हैं। इसलिए विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और ऐसी ही त्रुटियां/चूक तो नहीं हुई हैं और यदि ऐसा हो, तो उन्हें सुधारें और ऐसी प्रणाली स्थापित करे ताकि ऐसी त्रुटियों/चूक को रोका जा सके।

1.8 इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में कर और गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें और आठ अन्य टिप्पणियाँ/कंडिकायें शामिल हैं।

[3] वाणिज्य कर विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित कंडिका में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

कर प्राप्तियां

ट्रांजिशनल क्रेडिट

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था पर जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक अनुपालन लेखा परीक्षा (सीए) संचालित की गई थी। मुख्य लेखा परीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

23 वा.क.अं. में संयुक्त आयुक्तों को ₹ 50 लाख से अधिक के 105 ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तथापि, उ.रा.क./ स.आ.रा.क./रा.क.प. द्वारा 75 मामलों का सत्यापन किया गया और शेष 30 मामले असत्यापित रहे।

(कंडिका 2.3.7.2)

24 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 14.06 करोड़ के अस्वीकृत ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली के लिए समुचित अधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कारवाई शुरू नहीं की गई।

(कंडिका 2.3.7.3)

18 वा.क.अं. में 57 करदाताओं ने ₹ 70.42 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेनीत कर लाभ प्राप्त किया। हालांकि, ये करदाता केवल ₹ 33.99 करोड़ के क्रेडिट को अग्रेनीत करने के योग्य थे। इस प्रकार, ₹ 36.43 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट अधिक अग्रेनीत किया गया, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ब्याज और अर्थदंड ₹ 23.65 करोड़ भी आरोपणीय था।

(कंडिका 2.3.8.1)

13 वा.क.अं. में 22 करदाताओं ने ₹ 34.55 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। हालांकि, प्राप्त दावों में अस्वीकार्य मदों पर ₹ 31.14 करोड़ का क्रेडिट शामिल है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ के अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ₹ 20.17 करोड़ का ब्याज एवं अर्थदंड भी आरोपणीय था।

(कंडिका 2.3.8.2)

पाँच करदाताओं द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 9.03 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का लाभ उठाया गया। हालांकि, इन करदाताओं के पास ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेनीत करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर कोई अप्रयुक्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 2.3.8.3)

चार वा.क.अं. में चार करदाताओं ने स्टॉक में रखे गए इनपुट पर ₹ 81.53 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.4)

छः वा.क.अं. में आठ करदाताओं ने पारगमन में इनपुट पर ₹ 75.43 लाख का ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, ये दावे अपेक्षित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.5)

यद्यपि करदाताओं ने निर्धारित समय सीमा से परे ट्रान-1 दाखिल किया था, या निरसित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संवेदक के रूप में निबंधित नहीं थे, उन्होंने कार्य संविदा सेवा पर अनियमित रूप से ₹ 1.56 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त किया था।

(कंडिका 2.3.8.7)

14 वा.क.अं., के समुचित अधिकारियों ने 24 मामलों में, ₹ 15.91 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे को अस्वीकार किया और ₹ 6.44 करोड़ के आरोपणीय ब्याज और अर्थदंड के बदले ₹ 35.88 लाख का ब्याज और अर्थदंड लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.8.8)

समुचित अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी होने के छः महीने के भीतर मांग में सुधार कर सकता है। तथापि, एक मामले, में ₹ 55.19 लाख की मांग पत्र को बिना कोई कारण बताए 16 महीने की समाप्ति के बाद संशोधित कर गलत तरीके से 'शून्य' दिखलाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.19 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया।

(कंडिका 2.3.8.10)

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

वाणिज्य कर विभाग

अस्वीकृत छूटों, रियायतों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के कारण ₹ 61.65 करोड़ के ब्याज़ का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण प्राधिकारियों, ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप आठ व्यवसायियों द्वारा ₹ 126.48 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 26.29 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.5)

क.नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 11.36 करोड़ के बदले ₹ 25.82 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की।

(कंडिका 2.6)

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के निर्धारित प्रावधानों के अधीन ₹ 9.68 करोड़, का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 2.7)

क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 16.39 करोड़ के बदले ₹ 8.92 करोड़ का कर आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.47 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.8)

क.नि.प्रा. द्वारा कर की अधिक छुट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.9)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

विभाग द्वारा शराब के कम उठाव के कारण आरोपनीय न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 19.61 लाख एवं विलम्ब से न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क एवं उत्पाद परिवहन शुल्क की राशि जमा किये जाने के कारण आरोपनीय विलम्ब शुल्क कि राशि ₹ 6.23 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.12)

गैर-कर प्राप्तियां

खान एवं भूतत्व विभाग

दो जिलों (रांची और साहिबगंज) में, सभी 24 नमूना जांच किए गए मामलों में अनियमित तरीके से खनन पट्टे आवंटित किये गए, 2017-22 के दौरान आवंटित किए गए खनन पट्टों के 65 मामलों में से, जो झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमों का उल्लंघन और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता की सार के विरुद्ध था।

(कंडिका 3.2.1)

झारखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यकलाप

2015-16 से 2020-21 की अवधि से संबंधित प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत निधियों की संग्रह, योजना, योजनाओं/ परियोजनाओं के चयन और अनुश्रवण को आच्छादित करते हुए लेखापरीक्षा की गई। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए

प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षा का दायरा सीमित था। राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनाए गए प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा नमूने का चयन लेखापरीक्षा इकाईयों की अभिगम्यता के आधार पर किया गया था। अभिलेखों की सुलभता और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

चूंकि आंकड़ों के तीनों समूह (खान निदेशक, जि.ख.कार्या. और डी.एम.एफ.टी. द्वारा) बिना किसी समाशोधन के बनाए गए थे, डी.एम.एफ.टी. अंशदान के संग्रहण और उसके लेखांकन ने इसकी सत्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सके।

(कंडिका 3.3.6.1)

नमूना जांच किए गए डी.एम.एफ.टी. में से किसी भी शासी परिषद (शा.प्.) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। ट्रस्टों के अध्यक्ष (संबंधित जिलों के उपा.) ने भी वार्षिक बजट तैयार नहीं किया (यद्यपि शा.प. की विफलता पर ऐसा करने के लिए आवश्यक था) या न ही राज्य सरकार को प्रदान किया, जबकि डी.एम.एफ.टी. विलेख में ऐसा करना प्रावधानित था।

(कंडिका 3.3.6.2)

विभाग द्वारा (पट्टेदारों और कार्य संवेदकों से) ₹ 11.10 करोड़ एवं ₹ 35.68 करोड़ (संवेदकों से) की अतिरिक्त राशि डी.एम.एफ.टी. अंशदान के रूप में एकत्र किया जा सकता था, यदि राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 के संशोधन के शीघ्र उपरांत डी एम एफ टी नियमावली तैयार कर लिया होता।

(कंडिका 3.3.6.3)

बोकारो, धनबाद और रांची के उपायुक्तों (निधि के प्र.स. के रूप में) ने खनन कार्य से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की पहचान किए बिना और संबंधित गांवों की ग्राम सभा को शामिल किए बिना 2016-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर डी.एम.एफ.टी. निधि से ₹ 1,563.14 करोड़ का व्यय किया। चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा के उपायुक्तों ने पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जि.ख.अधि. और अंचलाधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पहचान किए गए प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों पर विभिन्न योजनाओं पर ₹ 339.80 करोड़ का व्यय किया।

(कंडिका 3.3.7.1)

पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र (जिसमें कंडिका 3.3.3 में वर्णित आठ प्रकार की सेवाएँ) के योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो योजनाओं (पाइप पेयजल और निजी घरेलू शौचालय) पर ₹ 4,444.05 करोड़ (कुल संग्रह का 64.82 प्रतिशत) संस्वीकृत किया।

(कंडिका 3.3.7.3)

नमूना जांच किए गए छह जिलों में से चार में 2016-20 के दौरान पी.एम.के.के.के.वाई. दिशानिर्देशों के दायरे से हटकर ओपन जिम, पुलिस स्टेशन में शौचालय, डाक बंगला का निर्माण उपायुक्त कार्यालय में सम्मेलन कक्ष का नवीनीकरण, फर्नीचर की खरीद आदि के लिए ₹ 9.02 करोड़ की योजनाओं पर व्यय किया गया।

(कंडिका 3.3.7.4)

डी.एम.एफ.टी., बोकारो और चतरा में 2016-20 के दौरान उपायुक्त./उप वि.आ. द्वारा चयनित ₹ 247.08 करोड़ की नौ योजनाओं को डी.एम.एफ.टी. नियमों और पी.एम.के.के.के.वाई. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 3.3.7.5)

नमूना जांच किए गए छः डी.एम.एफ.टी. में 2016-21 के दौरान प्राक्कलित ₹ 2,269.48 करोड़ की राशि 133 योजनाएं विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई जो अपूर्ण थीं।

(कंडिका 3.3.7.8)

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 3.4)